

10.12.2024:- पत्रावली पेशी में ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र में आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। वादी अधिवक्ता को लगातार अवसर दिये जा रहे। उपस्थित नहीं आए। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थन पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

01/12  
सहायक कलक्टर  
एव उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़